राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक एफ 1(1)(3) आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2015/6220-46 जयपुर,दिनांक 01.06.2016

जिला कलक्टर,
अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर,
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर,
हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द,
उदयपुर एवं प्रतापगढ़,राजस्थान।

विषयः—खरीफ फसल 2015 (सम्वत् 2072) में प्रभावित क्षेत्रों में अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में हुई ओलावृष्टि से नुकसान होने पर प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. मानदण्डों के बिन्दु संख्या 1(e) के अनुसार पात्र वृद्ध, अशक्त व निराश्रित बच्चों को अनुग्रह सहायता स्वीकृत करने हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः—

1. जिला कलक्टर यह प्रमाणित करेंगेः—(1) अनुग्रह सहायता हेतु चयनित पात्र व्यक्तियों के परिवारों के पास खाद्य नहीं है या आपदा के कारण खाद्यान नष्ट/खराब हो गया है एवं (2) चयनित व्यक्ति रिलीफ कैम्पों में निवास नहीं कर रहे है। ऐसे समस्त वयस्क तथा अवयस्क व्यक्ति इस योजना अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने के पात्र होगें।
2. अनुग्रह सहायता हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रति वयस्क 60/— रूपये तथा प्रति बच्चे को 45/—रूपये की दर से अनुग्रह सहायता देय होगी।
3. अभावघोषणा क्रमांक 14226—66 दिनांक 19.12.2015 के क्रम में अनुग्रह सहायता प्रारम्भ में 30 दिवस के लिए देय होगी। राज्य कार्यकारी समिति के आकंलन पर असहाय सहायता उपलब्ध करवाने की समयावधि पहली बार में 60 दिवस तक तथा उसके बाद में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। समयावधि बढाने हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा।
4. ग्राम स्तर पर असहाय सहायता के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए। उक्त सूची की ग्रामसभा में प्रस्तुत कर असहाय सहायता के पात्र व्यक्तियों का चयन ग्रामसभा में कराया जाये। सूची में अपात्र व्यक्तियों का चयन नहीं हो इसको सुनिश्चित किया जाये। यदि पात्र व्यक्ति चयनित होने से वंचित रह गया है, तो ग्रामसभा द्वारा उसे जोड़ा जा सकता है। ग्रामसभा के अनुमोदन पश्चात यह सूची रजिस्टर में संधारित की जाए व रजिस्टर में सरपंच, पटवारी, ग्रामसेवक एवं जहां तक सम्भव हो वार्ड पंच एवं ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जाऐं। चयनित लाभार्थियों की सूची को नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कराया

जाए। ग्रामसभा में असहाय सहायता के रूप में दी जाने वाली नकद राशि की जानकारी सभी को दी जाए।

5. अनुग्रह सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज किया जावे एवं उनका निस्तारण जिला कलक्टर के स्तर पर किया जाए।
6. चयनित व्यक्तियों को असहाय सहायता हर पखवाड़े में नकद रूप में एक साथ ग्राम में एकत्रित कर ग्राम में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष वितरित की जाए।
7. इस राहत गतिविधि पर किये जाने वाला व्यय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय होगा। इस मद में होने वाले व्यय का मानचित्र माह की 10 तारीख तक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाया जाए।
8. अनुग्रह सहायता राशि का आवंटन पटवारी एवं ग्राम सेवक में से किसी भी एक कर्मचारी द्वारा किया जा सकेगा।
9. किसी भी योजना में पेंशन पानेवाला तथा किसी भी अन्य योजना में सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अनुग्रह सहायता मद से सहायता पाने का अधिकारी नहीं होगा।
10. जिला कलक्टर उक्तानुसार अनुग्रह सहायता प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों की संख्या की सूचना शीघ्र राज्य सरकार को प्रेषित कर आवश्यक बजट की मांग ऑनलाईन करेंगे। इस सूचना के आधार पर राज्य सरकार जिलों में अनुग्रह सहायता के पात्र व्यक्तियों को सहायता वितरण करने हेतु ऑनलाईन बजट आवंटन करेगी जिसके अनुसार जिला कलक्टर अनुग्रह सहायता का वितरण सुनिश्चित करेंगे।
11. जिले के प्रभावित क्षेत्रों मे अनुग्रह सहायता प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त प्रत्येक 10 दिवसों में विभाग के निर्धारित प्रारूप में सूचना से अवगत कराया जावे।

    उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अनुग्रह सहायता का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

आज्ञा से

उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया जयपुर, राज0।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता जयपुर, राज0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, जयपुर, राज0।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर, राज0।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।

उप शासन सचिव